भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं 136

03.02.2025 को उत्तर के लिए

ग्रीन इंडिया मिशन

136. श्री अरविंद धर्मापुरी :
श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेरिस समझौते के अंतर्गत अद्यतन राष्ट्रीय स्तरीय निर्धारण योगदान (एनडीसी) प्राप्त करने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वनरोपण के प्रयासों में राज्यों को सहायता देने के लिए शुरू किए गए ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम) कार्यक्रम के कार्यान्वयन ने अपने उद्देश्य हासिल कर लिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत इसकी शुरुआत से अब तक कितने प्रतिशत हेक्टेयर बंजर वन भूमि को पुनःउपयोग के लायक बनाया गया है;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान निर्धारित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के लक्ष्यों को निम्नलिखित मात्रात्मक लक्ष्यों अर्थात (i) वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत ऊर्जा की संस्थापित क्षमता प्राप्त करने, (ii) वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन सीओ$_2$ के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित करने; और (iii) वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत तक कम करने के लिए अद्यतित किया है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता वर्ष 2005 और 2020 के बीच 36% तक कम हुई है और दिसंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार देश में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता का हिस्सा 47.1% है, जबकि वर्ष 2005-2021 की अवधि के दौरान 2.29 बिलियन टन सीओ$_2$ के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित किया गया है।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत निर्धारित आठ मिशनों में से एक है। इसका लक्ष्य, भारत के वन आवरण की सुरक्षा, पुनर्स्थापना और उसमें वृद्धि करना तथा वन और वनेतर क्षेत्रों में पारि-पुनर्बहाली संबंधी कार्यकलाप आरंभ करके जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई करना है। जीआईएम के तहत किए जाने वाले कार्यकलाप वित्तीय वर्ष 2015-16 में शुरू किए गए थे। अब तक, सत्रह राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र को 155130 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण/पारि-पुनर्बहाली करने के लिए 962.87 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। जीआईएम के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई राज्यों की परिप्रेक्ष्य योजनाओं और वार्षिक प्रचालन योजनाओं के मूल्यांकन के बाद उन पर जीआईएम के तहत निधीयन हेतु विचार किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित और हरित भारत मिशन की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित लक्ष्यों के आधार पर निधियों की उपलब्धता और राज्य द्वारा की गई वास्तविक प्रगति के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बाद के वर्षों में निधियां जारी की जाती हैं। गत पांच वर्षों के दौरान जीआईएम के तहत निर्धारित/जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **संलग्नक-1** में दिया गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 के अनुसार, वर्ष 2021 के गत आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 1445.81 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देश में वन आवरण में सुधार और वृद्धि करने के लिए पारि-पुनर्बहाली संबंधी कार्यकलाप (वनीकरण सहित) शुरू करने के लिए हरित भारत मिशन (जीआईएम) सहित विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है।

*****

संलग्नक-1

तालिका : ग्रीन इंडिया मिशन के तहत गत पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान निर्धारित/जारी और उपयोग की गई निधियां

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य**	**जारी की गई**	**उपयोग की गई**
1	आंध्र प्रदेश	2.02	2.74
2	अरुणाचल प्रदेश	34.71	10.56
3	छत्तीसगढ़	12.91	11.38
4	हरियाणा	17.15	16.82
5	हिमाचल प्रदेश	17.09	9.01
6	जम्मू और कश्मीर	32.22	31.76
7	कर्नाटक	14.27	13.56
8	केरल	16.32	16.32
9	मध्य प्रदेश	75.49	88.92
10	महाराष्ट्र	0.00	1.78
11	मणिपुर	35.19	26.28
12	मिजोरम	107.96	86.83
13	ओड़िशा	79.00	74.91
14	पंजाब	14.62	12.50
15	सिक्किम	27.16	27.16
16	उत्तराखण्ड	122.22	130.84
17	पश्चिम बंगाल	10.95	10.18
18	उत्तर प्रदेश	5.43	3.98
	कुल	**624.71**	**575.55**

टिप्पणी : उपयोग की गई निधि में गत वर्ष में जारी की गई निधि में से राज्यों के पास उपलब्ध अव्ययित निधियों का उपयोग भी शामिल है।

*****